

**विज्ञप्ति**


राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से सत्र 2020-21 हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निम्नांकित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), एवं जन आधार से लिंक बैंक सम्बन्धित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा। नवीन विद्यार्थी रिक्त आवेदन पत्र अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
3	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
4	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
5	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
6	पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एम.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
7	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
8	कारगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.1999 एवं इसके पश्चात युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
9	प्री-कारगिल युद्धों में अर्थात् 01.04.1999 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
10	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाईट [https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/order/Scholarship/Sch\\_Pre\\_metric.html](https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/order/Scholarship/Sch_Pre_metric.html) लिंक पर उपलब्ध है।

  
(सौरभ स्वामी)  
IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21**

**कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति**

**1. पात्रता एवं शर्तें :-**

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो। छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य, (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) आयकर दाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
10. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

**2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :**

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)


**3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-**

1. छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)।

**छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार हैं :-**

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

  
(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020-21

दिनांक : 25.08.2020

## विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

### 1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय अनुसूचित जाति हेतु 2.50 लाख एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
- गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
- नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

### 2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 एवं 10)

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृत्ति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

### 3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
- आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

*AA*  
(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020-21

दिनांक : 25.08.2020

## विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

### 1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 तक क्रमोन्नत प्रमाण पत्र एवं कक्षा 9 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
- गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
- नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

### 2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :

विवरण	दरें (अधिकतम 10 माह के लिए)	
	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृत्ति/माह	100रुपये	500 रुपये

### 3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
- आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

### छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020-21

दिनांक : 25.08.2020

## विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति

### 1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का ही हो। (छात्र/छात्रा के परिवार का उक्त व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
- गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
- नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

### 2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

#### DAY SCHOLARS

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	225	750

#### HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

- छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक है:-
  - छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र
  - छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
  - आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

### छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020-21

दिनांक : 25.08.2020

## विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा संवर्ग (एम.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

### 1. पात्रता/शर्त :-

- छात्र/छात्रा अति पिछड़ा वर्ग का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय) (एम.बी.सी. में 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गूडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) तथा 5. गडरिया (गाडरी), गायरी जातियां शामिल हैं)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
- गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
- नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

### 2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/- प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र.माह

### 3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक है:-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
- आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

### छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020-21

दिनांक : 25.08.2020

## विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21

प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति

### 1. पात्रता/शर्त :-

- छात्र/छात्रा प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
- गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
- नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

### 2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	1 से 10	180/- प्र.माह

- छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक है:-
  - छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र
  - छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका-प्रमाणपत्र/ कक्षा क्रमोन्तत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
  - आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणितप्रति)।

### छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020-21**

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

1. पात्रता/शर्त :-

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
2. छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 11 अथवा 12 में नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बन्धित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
7. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
8. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	11 से 12	100/- प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणितप्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर